बी. एस. आदित्यन और अन्य

बनाम

बी. रामचंद्रन आदित्यन और अन्य

अप्रैल 16, 2004

[एस. राजेंद्र बाबू और डोरिस्वामी राजू, न्यायाधिपतिगण.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

धारा 92 - वाद अंतर्गत - प्रस्तुत करने की अनुमति - दिया जाना - प्रतिवादियों को सूचना -की आवश्यकता - अभिनिर्धारित : सावधानी के नियम के रूप में न्यायालय को आम तौर पर अनुमति देने से पहले प्रतिवादियों को नोटिस देना चाहिए लेकिन वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।

धारा 104 (1) (एफ. एफ. ए.) - दावा दायर करने की अनुमति - का इंकार - विरूद्व अपील अभिनिर्धारित: धारा 92 सीपीसी के तहत मुकदमा दायर करने की इजाजत देने से इंकार करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार करने के लिये अदालत सक्षम है।

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 136 - धारा 92 सीपीसी के तहत मुकदमा दायर करने की अनुमति दी गई - हस्तक्षेप - अभिनिर्धारित : आवश्यक नहीं है क्योंकि धारा 92 सीपीसी के तहत दिया गया आदेश पक्षकारो के अधिकारो का निर्धारण नहीं करेगा, बल्कि केवल एक पक्षकार को कार्यवाही शुरू करने में सक्षम करेगा।

प्रतिवादीगणो ने एक योजना तैयार करने, अपीलकर्ताओ संख्या 1 और 2 को ट्रस्टी के रूप में हटाने और खातो के प्रतिपादन के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

की धारा 92 के अंतर्गत दावा दायर करने की अनुमति के लिये उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। एकल पीठ ने आवेदन खारिज कर दिया। लेकिन खंड पीठ ने इस फैसले को उलट दिया और आगे कहा कि अनुमति देने से पहले प्रतिवादियों को नोटिस देना कानून के नियम के रूप में आवश्यक नहीं है, लेकिन सावधानी के नियम के रूप में अदालत को आम तौर पर प्रतिवादियों को नोटिस देना चाहिए। इसलिए अपील है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिधारित किया-

1. सामान्य तौर पर यदि किसी पक्ष को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 92 के तहत मुकदमा दायर करने की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ अपील दायर की जाती है, तो यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है ना ही यह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस प्रकृति की कार्यवाही पर विचार करने के बारे में सोचता है क्योंकि सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत दिया गया आदेश पक्षों के अधिकारों को निर्धारित नहीं करेगा, बल्कि केवल एक पक्ष को कार्यवाही शुरू करने में सक्षम बनाएगा। [220 - एच; 221-ए]

2. जब सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 (1) (एफ. एफ. ए.) में एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, जो मुकदमा दायर करने की अनुमति देने से इंकार करने वाले आदेशके खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत देता है, तो प्रतिवादीगणो द्वारा पहले दायर की गई अपील खंडपीठ निश्चित रूप से उस पीठ द्वारा विचार किए जाने के लिए सक्षम थी। [223 - बी-सी]

3. हालांकि सावधानी के नियम के रूप में, अदालत को आम तौर पर धारा 92 सीपीसी के तहत मुकदमा शुरू करने के लिये अनुमति देने से पहले प्रतिवादीगणो को नोटिस देना चाहिए, अदालत ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि कोई मुकदमा

प्रतिवादीगणो को बिना सूचना दिये दी गई ऐसी अनुमति के आधार पर शुरू किया जाता है तो मुकदमा कानून की नजर में खराब या गैर-रखरखाव योग्य नहीं होना चाहिये। अनुमति के अनुदान को किसी भी अधिकार को प्रस्तावित प्रतिवादीयो के किसी भी अधिकार को पराजित करने या यहां तक कि गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित करनेके रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि अनुमति को खारिज करने के लिये आवेदन दायर करने के लिये यह हमेशा खुला होता है जिस पर योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसारया यहां तक कि प्रक्रिया के दौरान भी विचार किया जा सकता है। मुकदमा जिससे यह स्थापित किया जा सके कि मुकदमा धारा 92 सीपीसी के दायर मे नहीं आता है। अनुमति देने से इंकार करने के खिलाफ अपील के लिये सीपीसी की धारा 104 (1) (एफ. एफ. ए.) के तहत प्रावधान एक अलग निष्कर्ष पर नहीं ले जाता है। [224 - बी-सी; 222-सी]

आर. एम. नारायण चेट्टियार बनाम एन. लक्ष्मणन चेट्टियार, [1991] 1 SCC 48, - पर भरोसा किया।

पिचैया बनाम वेंकटकृष्णमचार्लू, ए. आई. आर. (1930) मैड 129, नेशनल सुईंग थ्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम जेम्स चैडविक, [1953] एससीआर 1028, आर एम ए आर ए अडैकप्पा चेट्टियार बनाम आर. चंद्रशेखर थेवर, ए. आई. आर. 35 (1948) पी. सी. 12, शंकरलाल अग्रवाल बनाम शंकरलाल शंकरलाल पोद्दार [1984] 1 एस. सी. आर. 717, इस्टीटयूट ऑफ चाटर्ड एकाउंटेंट्स बनाम एल के रत्ना [1986] 3 एससीआर 1049, चरण सिंह बनाम दर्शन सिंह, (1975) 3 एससीआर 48 और टी. अरिवानंदम बनाम। टी. वी. सत्यपाल, [1978] 1 एस. सी. आर. 742 और जॉन बनाम रीस, (1969) 2 ऑल ई. आर. 274, संदर्भित किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 12915-12920/1996

(ओ.एस.ए. नंबर 62-64, 128, 129 और 54/ 1996 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 16.7.96 से)

के. परासरन, के. एस. कूपर, विनोद बोबडे, वी. षण्मुघम, विनीत कुमार, सुश्री जयंती नटराजन, तुषार कूपर और त्रिपुरारी रे; अपीलार्थियों के लिए

पी. पी. राव, एल. नागेश्वर राव, कोविलन पूनक्कुंड्रम , टी. हरीश कुमार, वी. कृष्णमूर्ति, एम. ए. कृष्णमूर्ति और एम. ए. चिन्नासामी, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निर्णय राजेन्द्र बाबू द्वारा दिया गया था।

एस. बी. द्वारा एक घोषणा पत्र निष्पादित किया गया। आदित्यन में स्वयं, उनके बड़े भाई एस. टी. आदित्यन और इसमें पहले प्रतिवादी, बी. रामचंद्रन आदित्यन को 1.3.1954 को न्यासियों के रूप में शामिल किया गया है। दिनांक 19.5.1959 के त्याग पत्र के तहत इसमें पहले प्रतिवादी ने न्यासी के रूप में और डेली थांथी के निदेशक के रूप में भी इस्तीफा दे दिया। दिनांक 22/5/1959 को निष्पादित न्यासियो की नियुक्ति के एक विलेख द्वारा प्रथम अपीलार्थी एस. पी. आदित्यन के पुत्र बी. एस. आदित्यन और द्वितीय अपीलार्थी को नए न्यासियों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हे डेली थांथी का निदेशक भी नियुक्त किया गया। 28.6.1961 को एक अनुपूरक विलेख भी निष्पादित किया गया था। 8.11.1961 पर संस्थापक ने इस्तीफा दे दिया। 2.3.1962 पर उच्च न्यायालय द्वारा सी. एस. सं. 90/1961 में पूरक विलेख दिनांक 28.6.1961 पूरक विलेख को मंजूरी देते हुए एक डिक्री पारित की गई थी। 27.12.1963 को एस. टी. आदित्यन ने इस्तीफा दे दिया। जून 1978 के अंतिम सप्ताह में संस्थापक ने खुद को, अपने बडे भाई एस. टी. आदित्यन और प्रथम प्रतिवादी को थांथी न्यास के अतिरिक्त न्यासी के रूप में नियुक्त करते हुये न्यासियो की नियुक्ति के तीन विलेख निष्पादित किये। अपीलकर्ताओं ने धारा 92 सिविल प्रक्रिया

संहिता (सी. पी. सी.) के तहत उक्त नियुक्तियों को चुनौती देने वाले वाद दायर करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किए और अनुमति दी गई और उक्त मुकदमों की संख्या सी. एस. संख्या 352 और 353 /1978 के रूप में दर्ज हुये। 29.8.1978 को पहले प्रतिवादी और उनके चाचा एस. टी. आदित्यन ने धारा 92 सीपीसी के तहत अपीलार्थियों संख्या 1 और 2 को न्यासियो के तौर पर हटाने के लिए मुकदमा दायर करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया। 13.9.1978 को उच्च न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा का एक अस्थायी आदेश दिया गया था जिसमें नव नियुक्त न्यासियों को इस शर्त पर न्यास के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने से रोका गया था कि पहले अपीलार्थी को रुपये एक लाख प्रतिमाह की राशि जमा करनी होगी। तीनों नव नियुक्त न्यासियों, अर्थात् संस्थापक, एस. टी. आदित्यन और प्रथम प्रतिवादी ने त्याग पत्र निष्पादित किए और धारा 92 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन संख्या 3147/1978 को वापस ले लिया। जैसे ही नव नियुक्त न्यासियों ने अपने न्यासी पद से इस्तीफा दे दिया और सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत अपना आवेदन वापस ले लिया, अपीलकर्ता इस आधार पर आगे बढ़े कि वाद सी. एस. नं. 352 और 353/ 1978 अनावश्यक हो गया था और उसे वापस ले लिया गया था।

जबकि मामला इस तरह खड़ा था, दिनांक 20.1.1981 को कन्नन आदित्यन और कथीरेसा आदित्यन ने अनुमति के लिए सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत आवेदन संख्या 165/1981 दायर किया, जिसमें उन्हें अतिरिक्त न्यासियों के रूप में नियुक्त करने और पहले और दूसरे अपीलकर्ताओ द्वारा खातो के प्रतिपादिन के लिये मुकदमा दायर करने की अनुमति दी गई। अपीलकर्ताओं ने अदालत की अनुमति के लिये आवेदन संख्या 879/1991 प्रस्तुत किया ताकि आवेदको, यानि कन्नन आदित्यन और कथिरेसा आदित्यन से जिरह की जा सके, ताकि इस तथ्य को स्थापित किया जा सके कि यह याचिकाकर्ताओं के पिता थे जो सभी दस्तावेजों और सामग्रियों की आपूर्ति कर

रहे थे और जो कार्यवाही का संचालन कर रहे थे और कि वे 21 और 18 वर्ष के थे और तब इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले छात्र थे। अपीलकर्ताओ द्वारा दायर उक्त आवेदन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया। ओएसए नंबर 152/1981 में प्रस्तुत की गई अपील में खंडपीठ ने माना कि अपीलकर्ताओ को कन्नन आदित्यन और कथिरेसा आदित्यन से जिरह करने की अनुमति देना न्याय के हित में होगा। जब मामला इस न्यायालय में ले जाया गया, तो इस न्यायालय ने 1982 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 6040/1982 को यह कहते हुये खारिज कर दिया कि जिरह, हालांकि, मंजूरी और इसे नियंत्रित करने वाले सिद्वांतो के प्रश्न तक ही सीमित थी। आदेश 11 नियम 21 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर िकया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था और खंडपीठ द्वारा अपील की पुष्टि होने पर, उसी मामले को एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में ले जाया गया था। इस न्यायालय ने उक्त विशेष अनुमति याचिका का निपटारा कर दिया और अंतत: 18/1/1993 को एक आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया।

न्यासियों, अर्थात् प्रथम और द्वितीय अपीलकर्ताओं ने श्री मरुथाई पिल्लई, श्रीमती सरोजिनी वरदप्पन और श्री आर. सोमसुंदरम को अतिरिक्त न्यासियों के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। 3.1.1994 को प्रतिवादीगणो संख्या 1 से 4 ने एक योजना तैयार करने, अपीलकर्ताओ संख्या 1 और 2 को ट्रस्टी के रूप में हटाने और खातो के लिये धारा 92 सीपीसी के तहत मुकदमा दायर करने की अनुमति के लिये एक आवेदन संख्या 33/1994 दायर किया। मारुथाई पिल्लई, श्रीमती सरोजिनी वरदप्पन और आर. सोमसुंदरम को आवेदनसंख्या 33/1994 में पक्षकार बनाने की मांग करते हुये एक आवेदन संख्या 1030/1994 प्रस्तुत किया गया। रिसीवर की नियुक्ति, पक्षकारो को जोडने और समाचारपत्रो में कार्यवाही के प्रकाशन जैसे विभिन्न कारणो से कई प्रासंगिक आवेदन संख्या 214/ 1994 , 215/1994 , 1901/1994 और 153/1994 प्रस्तुत किये

गये थे। अपीलार्थियों ने सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत दायर उक्त आवेदनों को शुरूआत में खारिज करने के लिए भी एक आवेदन सीएस संख्या 1509/1994 कन्नन आदित्यन और कथीरेसा आदित्यन द्वारा निम्नलिखित घोषणा के लिए दायर किया गया थाः

> " इस माननीय न्यायालय की अनुमति के लिये सी. पी. सी. की धारा 92 के प्रावधानों के तहत वादी द्वारा दायर आवेदन संख्या 165/1981 में बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया और उक्त आवेदन के साथ दायर किया गया बिना नंबर का वाद और एसएलपी नंबर 3362 और 3363/1987 में किये गये आदेश दिनांक 18/1/1993 के तहत खंडपीठ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, धोखाधडी से प्रभावित है, क्षेत्राधिकार के बिना,कानून में गैर स्थाई और शून्य है, और इसके परिणामस्वरूप आवेदन संख्या 165/1981 में किए गए सभी आदेशों और उक्त आवेदन के साथ दायर किए गए बिना नंबरी मुकदमे को दरकिनार कर दिया गया है, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस. एल. पी. संख्या 3362 और 3363/1987 में पारित आदेश दिनांक 18/1/1993 और आवेदन संख्या 165/1981 को उपर उल्लिखित मुकदमें साथ बहाल करने और इसे नये सिरे से सुनने के लिये बहाल करे।"

धारा 92 सीपीसी के तहत दायर आवेदन संख्या 33/1994 को खारिज करने के लिये अपीलकर्ताओ द्वारा दायर आवेदन को एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था और अन्य आवेदनो में कई आदेश दिये गये थे। जबकि ओएसए संख्या 62/1996 आवेदन संख्या 33/1994 दायर अंतर्गत धारा 92 सीपीसी को खारिज किये

जाने के फैसले के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी। ओएसए नंबर 63 और 64 /1996 अन्य आनुषंगिक राहतो के संबंध में प्रस्तुत की गई थी। खंडपीठ ने दिनांक 16/7/1996 को दिये गये एक आदेश द्वारा अपीलो को स्वीकार किया अनुमति दी और इस प्रकार ओएसए संख्या 62/1996 को स्वीकार करते हुये, इसने प्रार्थना-पत्र संख्या 33/1994 को उसमें अपीलकर्ताओ को धारा 92 सीपीसी के अंतर्गत वर्तमान अपीलकर्ताओ के विरूद्व दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुये स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश में खंडपीठ ने सीपीसी की धारा 92 के दायरे, 1976 में सीपीसी में हुये संशोधन के प्रभाव पर भी विचार किया, जिसमें अदालत को उस पर सहमति देने के लिये महाधिवक्ता के स्थान पर अनुमति देने की आवश्यकता थी और उपरोक्त मामलो पर न्यायालय के कई फैसलो पर भी गौर किया। जबकि कुछ निर्णयों मे यह विचार किया गया है कि ऐसी अनुमति देने वाला आदेश एक प्रशासनिक आदेश है, कुछ अन्य न्यायालयो ने यह है कि ऐसे आदेश की संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत समीक्षा की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने यह माना कि अनुमति से पहले प्रतिवादीगणो को नोटिस देना कानून के नियम के रूप में आवश्यक नहीं है, लेकिन सावधानी के नियम के रूप में, अदालत को आम तौर पर धारा 92 सीपीसी के तहत मुकदमा दायर करने की अनुमति देने से पहले प्रतिवादीगणो को नोटिस देना चाहिये; प्रतिवादी अदालत के ध्यान मे ला सकते है कि वाद में लगाये गये आरोप तुच्छ या लापरवाहीपूर्ण है और किसी दिये गये मामले में, वे यह बता सकते है कि जो व्यक्ति अनुमति के लिये आवेदन कर रहे है वे केवल परेशान करने की दृष्टि से ऐसा कर रहे है ट्रस्ट या ऐसे पूर्ववृत है कि ऐसे व्यक्तियो को अनुमति देना अवांछनीय होगा; सीपीसी की धारा 141 ऐसी कार्यवाही पर लागू नहीं होती जो प्रशासनिक प्रकृति की हो। उच्च न्यायालय ने अपने द्वारा विज्ञापित सिद्वांतो के आलोक में मामले के तथ्यो की जांच की।

सामान्य तौर पर यदि किसी पक्ष को धारा 92 सीपीसी के तहत मुकदमा दायर करने की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के मामले में, हम आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और न ही हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस तरह की कार्यवाही का विचार करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि इसके तहत दिया गया आदेश पक्षों के अधिकारों को निर्धारित नहीं करेगा, बल्कि केवल एक पक्ष को कार्यवाही शुरू करने में सक्षम बनाएगा।

यहां अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. परासरन ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला किसी न्यास संपत्ति के संबंध में मुकदमे के तीसरे दौर में से एक है। वर्तमान मामला में जिस बात पर विचार किया जाना है, वह किसी अचल संपत्ति के संबंध में न्यास नहीं है, बल्कि वर्तमान में एक समाचार पत्र "दीना थांथी" या "डेली थांथी" के संबंध में है, जो तमिल भाषा में एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित हो रहा है, जिसका मुख्य कार्यालय वर्तमान में 60, कटचेरी रोड, मायलापुर, मद्रास में स्थित है, जो अपनी सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ एक चालू संस्था के रूप में स्थित है और सभी मुद्रण मशीन, मुद्रण प्रकार, फर्नीचर और समाचार पत्र के सहायक उपकरण ट्रस्ट संपत्ति का हिस्सा हैं; कि यह एक चल रहा समाचार पत्र व्यवसाय है जो न्यास के तहत अधीन और प्रभावित संपत्ति है, जिसके लिए ऐसी प्रकृति के उद्यम को चलाने के लिए बहुत कौशल की आवश्यकता होती है; कि न्यास के लिए अचल संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था, जहां कार्यालय स्थित हैं और व्यवसाय किया जाता है और एक या दो केंद्रो पर अतिथि गृह भी हैं। अपीलकर्ताओं ने धारा 92 सीपीसी के साथ धारा 151 सीपीसी के तहत आवेदन संख्या 2421/1994 प्रतिवादीगणो संख्या 1 से 4 के द्वारा आवेदन को खारिज करने को, धारा 92 सीपीसी के दावा प्रस्तुत करने के लिये अनुमति के लिये, योजना तैयार करने के लिये, अपीलार्थीगण संख्या 1 और 2 को न्यासियो के रूप में हटाने और खातो के लिये,

प्रस्तुत किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 21.12.1999 को दिए गए एक आदेश द्वारा, यहां अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 2421/1994 में धारा 92 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत दायर दायर प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया अपील पर, जैसा कि पहले कहा गया था, खंडपीठ ने भी मूल पक्ष में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओ के खिलाफ धारा 92 सीपीसी के तहत मुकदमा दायर करने की अनुमति दी।

अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि धारा 92 सी. पी. सी. के तहत वाद दायर करने की अनुमति देने वाला जो आदेश पारित किया गया था, वह प्रशासनिक का है या अन्यथा; यह तब उत्पन्न होता है जब प्रतिवादियों की आपत्तियों पर विचार किया जाता है; आदेश, निर्णय, और न्यायनिर्णयन अभिव्यक्तियो के अर्थ के दायरे के संबंध में। उन्होंने पिचैया और अन्य बनाम वेंकटकृष्णमचार्लू और अन्य , ए. आई. आर. (1930) मद्रास 129, में निर्णय की ओर हमारा ध्यान इस आशय से आकर्षित किया कि सी. पी. सी. की धारा 92 का उद्देश्य जनता और न्यासियों के अधीन संस्थानों के अधिकारों की रक्षा करना है। इस संबंध में, उन्होंने विशेष रूप से नेशनल सुईंग थ्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम जेम्स चेदविक एंड ब्रदर्स लिमिटेड, [1953] एससीआर 1028 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया । उन्होने आर एम ए आर ए अडैकप्पा चेट्टियार बनाम आर. चंद्रशेखर थेवर, ए. आई. आर. 35 (1948) पी. सी. 12 पर भी भरोसा व्यक्त किया, यह तर्क देने के लिये कि जहां कोई कानून अधिकार विवाद में है और देश की सामान्य अदालते इस तरह के विवाद से दूर है, अदालते उस पर लागू प्रक्रिया के सामान्य नियमो द्वारा शासित होती है और एक ऐसे नियमो द्वारा अधिकृत होने पर अपील की जा सकती है, भले ही दावा किया गया कानूनी अधिकार एक विशेष कद के तहत उत्पन्न होता है जो अपील का अधिकार प्रदान नहीं करता है। आर. एम. नारायण चेट्टियार बनाम एन. लक्ष्मणन चेट्टियार, [1991] 1 SCC 48, में

इस न्यायालय ने धारा 92 सीपीसी के दायरेकी विस्तार से जांच की है और मुकदमा दायर करने की अनुमति देने में अंतिनर्हित उददेश्य की व्याख्या की है। इस मामले में, इस न्यायालय ने माना कि अदालत को आम तौर पर सावधानी बरतने के नियम के रूप में अनुमति देने से पहले प्रतिवादियो को नोटिस देना चाहिये, लेकिन अदालत सभी परिस्थितियो में ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं है और नोटिस जारी न करने से मुकदमा खराब या गैर पोषणीय नहीं होगा और प्रतिवादी किसी भी समय अनुमति को रदद करने के लिये आवेदन कर सकते है और अनुमति देने से इंकार करने के खिलाफ अपील के लिये धारा 104(1)(एफएफए) के तहत प्रावधान एक अलग निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है। इस निर्णय के आलोक में, हम विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अन्य निर्णयों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं। इसके अलावा, विधि आयोग ने मामले के इस पहलू पर अप्रैल 1992 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस मामले पर विचार किया था। विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों और आर. एम. नारायण चेट्टियार के मामले (उपरोक्त) में निर्णय को ध्यान में रखने के बाद, विधि आयोग ने सिफारिश की कि अदालत से नोटिस जारी करने की अपेक्षा करने और फिर संबंधित प्रतिवादियों द्वारा रखी गई आपत्तियों के आलोक में अनुमति देने से पहले विस्तार के कई बिंदुओं पर विचार करने का मतलब यह होगा कि अन्वीक्षा से पहले एक अन्वीक्षा होगी और यह वांछनीय नहीं होगी। अतः विधि आयोग की सिफारिश थी कि सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत एक स्पष्टीकरण इस आशय से जोड़ा जाए कि न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी किए बिना इस धारा के तहत अनुमति दे सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय निश्चित रूप से अनुमति देगा। शंकरलाल अग्रवाल और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर विशेष जोर दिया जाता है और भारी निर्भरता रखी जाती है। शंकरलाल अग्रवाल एवं अन्य बनाम शंकरलाल पोद्दार और अन्य, [1964] 1 एस. सी. आर. 717, प्रशासनिक और न्यायिक आदेशों के बीच अंतर

पर जोर देता है। यह आग्रह किया जाता है कि जिस आदेश से अपील को प्राथमिकता दी गई थी, वह लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के अर्थ के भीतर एक निर्णय नहीं था और इसलिए खंडपीठ के पास कोई अपील नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस बनाम एल. के. रत्ना और अन्य, [1986] 3 एस. सी. आर. 1049 में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के बीच अंतर लाने के लिए दिया गया है। चरण सिंह और अन्र बनाम दर्शन सिंह और अन्य , [1975] 3 एस. सी. आर. 48 में धारा 92 सी. पी. सी. के दायरे की जांच की गई थी। वी., जहाँ पूरे मामले ने उस में उत्पन्न होने वाले तथ्यों को विशेष मामले में बदल दिया।

हमारा ध्यान इस न्यायालय के टी. अरिवंदम बनाम टी. वी. सत्यपाल और अन्य [1978] 1 एस. सी. आर. 742 के फैसले की ओर भी आकर्षित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत उचित शक्तियो का प्रयोग करना कष्टप्रद मुकदमो में अदालत का कर्तव्य है। हमारा ध्यान जॉन बनाम रीस और अन्य(1969) 2 सभी ई. आर. 274, के निर्णय की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित होता है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि उन्हें अवसर दिये बिना किसीपक्षकार के खिलाफ निर्णय देना उचित नहीं है। हालांकि कई अन्य निर्णयो का संदर्भ दिया गया है, हम उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझते है।

इस पृष्ठभूमि में, जब सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 (1) (एफ. एफ. ए.) में एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, जिसमें मुकदमा दायर करने की अनुमति देने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी गई है, तो खंड पीठ के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा खंडपीठ के समक्ष अपील दायर अपील निश्चित रूप से उस पीठ द्वारा विचार किये जाने के लिये सक्षम थी। इस मामले में, इससे पहले के एक अवसर पर, जब सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत एक मुकदमा दायर

किया गया था, जब संस्थापक ने न्यासियों की नियुक्ति के विलेख को निष्पादित किया था और उस मुकदमे में कुछ अंतरिम आदेश पारित किए गए थे, तो उक्त आवेदन को आदेश XXIII नियम 1 के तहत अनुमति प्राप्त किए बिना दिनांक 19.9.78 को वापस ले लिया गया था क्योंकि नव नियुक्त न्यासियों ने अपने न्यासी पद से इस्तीफा दे दिया था और सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत अपना आवेदन वापस ले लिया था, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर दो वाद मुकदमे सी. एस. संख्या 352 और 353 /1978 को निष्फल होने के रूप में निपटाया गया था। बाद में एक अन्य प्रार्थना-पत्र संख्या 165/1981 सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत उन्हें अतिरिक्त न्यासियों के रूप में नियुक्त करने और खातों को प्रस्तुत करने के लिए वाद दायर करने की अनुमति के लिए दायर किया गया था। उस कार्यवाही में आर. कन्नन आदित्यन और आर. कथीरेसा आदित्यन विशेष रूप से इस तथ्य को साबित करने के लिए कि यह उन याचिकाकर्ताओं के पिता थे जो सभी दस्तावेजों और सामग्रियों की आपूर्ति कर रहे थे और जो कि सभी कार्यवाहियो का संचालन कर रहे थे, उन आवेदकों की जिरह करने के लिए अदालत की अनुमति के लिए एक आवेदन संख्या 879/1991 प्रस्तुत किया गया था। जिरह के लिये आवेदकों के लिए दायर आवेदन को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। आगे की अपील पर, खंड पीठ ने कहा कि यह न्याय के हित में होगा कि अपीलकर्ताओं को उक्त पक्षों से जिरह करने की अनुमति दी जाए। यह मामला विशेष अनुमति याचिका संख्या 6040 /1982 में इस न्यायालय में लाया गया था। इस न्यायालय ने उक्त विशेष अनुमति याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिपरीक्षा निश्चित रूप से पूरे दस्तावेजों पर ध्यान देने के बाद "मंजूरी और उसी को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के सवाल तक ही सीमित रहेगी"। पुनः, आदेश 11 नियम 21 सी. पी. सी. के अधीन आवेदन सं. 165/1991 को खारिज करने के लिए एक अन्य आवेदन सं. 4738/1982 न्यायालय के समक्ष लाया गया था, जिसे हालांकि, विद्वान

एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था और मामले को अपील में रखा गया था जिसे खंड पीठ द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। यह मामला इस अदालत के समक्ष लाया गया था। इस अदालत ने पक्षकारों को उनके संबंध में उचित शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा और उसके बाद सभी अदालत के समक्ष कागजात रखे गए। हालांकि, इस अदालत ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। इस पृष्ठभूमि में विद्वान वकील ने कहा कि अदालत को सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत अनुमति देने से पहले सभी आवश्यक विवरणों में मामले की जांच करनी चाहिए थी। आर. एम. नारायण चेट्टियार के मामले (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने कानून के इतिहास पर विस्तार से विचार किया और क्या अदालत को सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत मुकदमा दायर करने की अनुमति देने से पहले प्रस्तावित प्रतिवादियों को सुनने का अवसर देने की आवश्यकता है और इस मामले पर कानून का उल्लेख किया। यद्यपि सावधानी के नियम के रूप में, न्यायालय को आम तौर पर उक्त धारा के तहत अनुमति देने से पहले मुकदमा दायर करने के लिये प्रतिवादियों को नोटिस देना चाहिए, अदालत ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि ऐसी अनुमति के आधार पर कोई मुकदमा दायर किया जाता है, जो प्रतिवादियों को बिना किसी सूचना के दिया जाता है, तो मुकदमा कानूनी रूप से खराब या अपोषणीय माना जायेगा। अनुमति देने को प्रस्तावित प्रतिवादियों के किसी भी अधिकार को हराने या गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उनके लिए अनुमति को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए हमेशा खुला रहता है जिस पर गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार या यहां तक कि मुकदमे के दौरान भी विचार किया जा सकता है जो स्थापित किया जा सकता है कि मुकदमा धारा 92 सी. पी. सी. के दायरे में नहीं आता है। मामले के उस दृष्टिकोण से, हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण है।

हालाँकि, हम एक या दो पहलुओं को देख सकते हैं। इस प्रकार के किसी मामले में धारा 141 सी. पी. सी. या अन्यथा की प्रयोज्यता की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के लिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा विद्वान वकील के प्रदर्शन के बारे में पैरा-28 में की गई टिप्पणियाँ और देश में होने वाली घटनाओं के बारे में पैरा-41 में सामान्य टिप्पणियां उसके समक्ष अपील से निपटने में अनावश्यक और अनुचित हैं। इस तरह की छिटपुट यात्रा से विवादग्रस्त मामला तूल पकड लेगा। मामले का सार केवल यह था कि धारा 92 सी. पी. सी. के तहत अनुमति देने में प्रस्तावित पक्षों को मामले में सुना जाना चाहिए या नहीं और क्या मुकदमे को आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत प्रारंभिक रूप से खारिज किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से जब मुकदमा दायर करने वाले न्यासियों ने मामले में कुछ रुचि उत्पन्न कर ली थी और वे दावे के लिए केवल अजनबी नहीं थे या ऐसे व्यक्ति जिनके कहने पर मामले की सुनवाई नहीं की जानी चाहिए थी जैसे कि दिवालिया या एक पक्ष जिसे मामले में पर्याप्त रुचि नहीं है।

परिणामस्वरूप, हम इन अपीलों को खारिज करते हैं।

वी. एस.

अपीले खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।